कार्यालय ... ... (स्था०) निकाय
सामाजिक ... ... लेखापरीक्षा ...
वीरचन्द ... ...

9749 / 07-04-16

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / ... ...

सेवा में,

OSD (R.K.)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत दाउदनगर
जिला – औरंगाबाद

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना
पत्र
07 APR 2016
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर पंचायत दाउदनगर के ... लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ... 1308 / 15–16 आपके सूचनार्थ ... लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन ... लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन ... में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त साक्ष्य सहित ... लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित ... सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है, महालेखाकार ... लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही ... ।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

(... कुमार)
... लेखापरीक्षा अधिकारी
... प्रक्षेत्र–1
... शाखा, पटना

3179.

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 /14549/406 ... 31.03.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ...

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास ...
2. जिलाधिकारी, औरंगाबाद

(... कुमार) 31/3/16
... लेखापरीक्षा अधिकारी
... प्रक्षेत्र–1
... शाखा, पटना

नगर पंचायत, [illegible]

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0— 1308/[illegible]

भाग – I

प्रस्तावना

1. **निरीक्षित कार्यालय का नाम** :—नगर पंचायत [illegible]

2. **लेखा की अवधि** :—2010–11 से [illegible]

3. **लेखापरीक्षा का उददेश्य** :—अंकेक्षण [illegible] किए गए पंजियों व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत [illegible] की गई की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।

4. **लेखापरीक्षा की अवधि** :—07.9.[illegible] से [illegible]

5. **प्रशासन**

1) <u>मुख्य पार्षद का नाम</u> — अवधि

क) श्री परमानन्द प्रसाद — अनुपलब्ध

ख) श्री धर्मेन्द्र कुमार — अनुपलब्ध

ग) श्री परमानन्द प्रसाद — अनुपलब्ध

2) <u>उपमुख्य पार्षद का नाम</u> — अवधि

क) श्री अजय कुमार पाण्डेय — अनुपलब्ध

ख) श्री कौशलेन्द्र कुमार सिंह — अनुपलब्ध

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी — अवधि

क) श्री नौशाद आलम — अनुपलब्ध

ख) श्री राजीव कुमार — अनुपलब्ध

ग) श्री मनोज कुमार — अनुपलब्ध

घ) श्री स्नेय पयोधर — अनुपलब्ध

ङ) मो0 सिकन्दर — अनुपलब्ध

च) श्री विमल कुमार — अनुपलब्ध

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री रामजतन कुमार ले0प0
2. श्री नित्येश प्रताप सिंह, स0ले0प0अ0
3. श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, व0ले0प0अ0

7 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का** अनुपालन [illegible]

8 लेखा परीक्षा टिप्पणी:– नगर पंचायत, दाउदनगर की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। माँग एवं वसूली पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया तथा गृह कर की अधिरोपण एवं वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाएँ। नगर पंचायत, दाउदनगर प्रशासन से आग्रह है कि इसके पंजियों के संधारण के प्रयास किए जाएँ। नगर पंचायत प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हाँ (29.07.2015)

10 लेखा परीक्षा का परिणाम :–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि :– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि :–रू0 2310868

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि :–रू0 15205508

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–X पर है।

11 बजट :– अप्रस्तुत

12. वित्तीय अधिदृश्य

लेखापरीक्षा द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि का लेखापाल रोकड़बही, सहायक रोकड़बही तथा संबंधित ट्रेजरी पासबुक एवं बैंक पासबुक की माँग बार– बार (मौखिक एवं लिखित रूप से) की गई। लेकिन सहायक रोकड़बही अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में किस मद में कितनी राशि किन स्त्रोतों से किस प्राप्त हुई तथा किन मदों में कितनी राशि किन उद्येश्यों के लिए व्यय की गई। नगर पंचायत द्वारा सिर्फ लेखापाल रोकड़बही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। लेखापाल रोकड़बही के अनुसार आय– व्यय की स्थिति निम्न है –

लेखापाल रोकड़बही

मद ↓ वर्ष →	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
प्रारंभिक शेष	16264833	20763384.88	41267809.48	42803439.48	53699186.48
वर्ष में प्राप्त राशि	17255678.88	35678763.60	25904011	35264128	67841354
ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	33520511.88	56442148.48	67171820.48	78067567.48	121540540.48
कुल व्यय	12757127	15174339	24368381	24368381	14320590
अंत शेष	20763384.88	41267809.48	42803439.48	53699186.48	107219950.48
रोकड़ बही का अंतशेष	14834398	33522902	28951465	52320281	113635104
ट्रेजरी पासबुक का अंतशेष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
बैंक पासबुक का अंतशेष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

ट्रेजरी पासबुक एवं बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण [illegible] के आय– व्यय का सत्यापन ट्रेजरी पासबुक एवं बैंक पासबुक से नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, ट्रेजरी पासबुक एवं बैंक पासबुक का अंतशेष ज्ञात नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण आपत्तियाँ

1. प्रत्येक मद का सहायक रोकड़बही, ट्रेजरी पासबुक एवं [illegible] उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः इसे अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाये।
2. अधिकांश महिनों के आय का कुल योग एवं व्यय का [illegible] पाई गई जिसके कारण प्रत्येक वर्ष का अंतशेष वास्तविक अंतशेष से [illegible]
3. लेखापाल रोकड़बही के प्रविष्टियों के अंत में [illegible] अनुपलब्ध था।
4. माह तथा वर्ष के अंत में मासिक और वार्षिक [illegible] किया गया था।
5. रोकड़बही में आय– व्यय का वर्गीकरण नहीं [illegible]।
6. आय– व्यय का पूर्ण विवरण नहीं पाया गया।
7. वर्षवार आय और व्यय का सार तैयार नहीं किया गया [illegible]।
8. रोकड़बही में अनेक जगहों पर कटिंग एवं ओवरराइटिंग [illegible]।

जवाब दिया गया कि रोकड़बही की त्रुटियों का सुधार [illegible]।

भाग–II(क)

कंड़िका संख्या 1 :–92 पीस सोलर लाइट खरीद में [illegible] भुगतान (राशि–18.16 लाख)

नगर पंचायत दाउदनगर के सामान्य बैठक दिनांक 29.[illegible] में प्रत्येक वार्ड में बी.आर.जी.एफ मद से 46 पीस सोलर लाइट [illegible] लिया गया। तत्पश्चात् दैनिक सामाचार पत्र 'प्रभात खबर' में दिनांक 13.4.12 को [illegible] गयी। निविदा प्राप्त करने की तिथि 14.04.12, 12 बजे एव निविदा खोलने की [illegible] बजे निर्धारित की गयी थी। निविदा के आलोक में दो निविदादाताओं ने निविदा [illegible]

1. अजीत कुमार सिंह
2. उर्मिला कंस्ट्रक्शन

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा 21.4.12 को सशक्त स्थायी समिति के [illegible] एवं सबसे निम्न निविदादाता अजित कुमार सिंह को प्रति पीस 39700/– [illegible] आपूर्ति करने के लिए चयनित किया गया एवं आपूर्ति आदेश सं0 148/ 28.05.12 [illegible] कार्यालय एवं अजित कुमार सिंह के बीच 01.09.12 को एकरारनामा किया [illegible] 14.06.12 के प्रस्ताव सं0 01 में प्रत्येक वार्ड में दो दो और सोलर लाइट [illegible] एवं [illegible] सं0 214/21.6.12 द्वारा पुनः अजित कुमार सिंह को 46 [illegible] आदेश निर्गत किया

गया। अर्थात कुल 92 सोलर लाइटों का आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तत्कालीन नगर प्रबंधक को पत्रांक सं0 453,454 दिनांक 16.11.12 एवं [illegible] दिनांक 28.11.12 द्वारा लगाए गए सभी 92 सोलर लाइट का स्थल जांच कर गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसके आलोक में नगर प्रबंधक द्वारा दिनांक 28.01.13 को प्रतिवेदन कार्यालय में समर्पित किया गया कि सभी लाइट की गुणवत्ता संतोषप्रद है। संचिका के अनुसार पत्रांक सं0 [illegible] दिनांक 15.10.12 द्वारा अजित कुमार सिंह आपूर्तिकर्ता से खराब पड़े सोलर लाइट्स को बदलने का अनुरोध किया गया था एवं पत्रांक सं0 252 दिनांक 24.07.12 द्वारा लगाए गए सभी 92 सोलर लाइट का स्थल जांच कर गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु प्रभारी कनीय अभियंता द्वारा स्थल जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया। विपत्रों निम्नलिखित है:-

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	विपत्र की राशि	वैट की दर (प्रतिशत में)	वैट की राशि	कुल राशि	अंतिम भुगतान	अभिश्रव सं0	लाईटों की सं0
1.	374789	[illegible]	[illegible]	13	134186	1166386.00	874789.00		26
2.	37104	4.6.12	794000.00	13	103220	897220.00	672915.00		20
3.	37105	23.6.12	1826200.00	13	237406	2063606.00	500000.00		46
4.	638335	[illegible]					1047705.00		
5.	635978	30.1.13					666575.00		
6.	अनुपलब्ध						365228.00		
कुल			3652400.00		474812	4127212.00	4127212.00		

अंकेक्षण आपत्तियाँ:-

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि [illegible] कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, सभी सामान अजित कुमार सिंह, [illegible], बिहार से ही खरीदा गया था, अतः वैट की राशि के रूप में 474812/- की कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी। अतः राशि 474812/- का अधिक भुगतान किया गया।

2. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131(i) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited Tender Enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक समाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन में हो उसमें निविदा निकाली जा सकती है या web based wide publicity की जानी चाहिए तथा साथ साथ कम से कम तीन निविदादाता के निविदा के बाद ही चयन पर विचार किया जाना है, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि निविदा का web based wide publicity नहीं की गयी साथ साथ दो निविदादाताओं के निविदा पर ही विचार करते हुए एक निविदादाता का चयन किया गया।

इसके साथ साथ यह भी पता चला कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड जो वित्त विभाग के संकल्प सं0 एम–4–35/2002/1293/वि0–2 दिनांक 23.2.2007 द्वारा राज्य क्रय संगठन नामित है अर्थात रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता है उससे भी निविदा निकालने से पहले या बाद में संपर्क नहीं साधा गया। इससे यह स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता के चयन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

3. भंड़ार पंजी लेखापरीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका की क्रय की गई सोलर लाईट की आपूर्ति वास्तव में हुई थी अथवा नहीं।

4. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 जेड एक के अनुसार तकनीकी निविदा पर विचार करते समय किसी तकनीकी व्यक्ति का होना आवश्यक है, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि दिनांक 18.12.13 को उपर्युक्त सामानों की खरीदारी के तकनीकी निविदा पर विचार करते समय कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यालय के प्रधान सहायक एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य ही उपस्थित थे। अर्थात तकनीकि निविदा खोलते समय जो भी सदस्य उपस्थित थे उसमें एक भी व्यक्ति Technical side से नहीं था। संचिका में तकनीकी बीड से संबंधित एक भी दस्तावेज नहीं पाया गया। इसके अभाव में द्वारा समर्पित दस्तावेज को तकनीकी बीड नहीं माना जाना चाहिए था फिर भी इसे तकनीकी बीड मानते हुए विचार किया गया जो पूर्णतः गलत था।

5. प्रथम कार्यालय आदेश 28.05.12 को आपूर्तिकर्ता को चयनित किया गया। बिहार स्टेट इलेक्टॉनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड जो वित्त विभाग के संकल्प सं0 एम–4–35/2002/1293/वि0–2 दिनांक 23.2.2007 द्वारा राज्य क्रय संगठन नामित है अर्थात रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता है परन्तु नगर पंचायत दाउदनगर द्वारा निविदा निकालने से पहले या बाद में संपर्क नहीं साधा गया। ब्रेडा या बेलट्रान द्वारा [illegible] से प्रति पीस सोलर लाइट का दाम 22355/– एवं 3 साल की वारंटी के लिए प्रति पीस 2762/– अर्थात 25117– प्रति पीस की दर सभी कर सहित निर्धारित की गयी थी। परन्तु [illegible] संचिका के अवलोकन से पता चला कि नगर पंचायत दाउदनगर द्वारा प्रति पीस [illegible]/– की दर के साथ साथ 13.5 प्रतिशत वैट की राशि पर एकरारनामा किया गया एवं प्रति पीस 44861/– की दर से अर्थात 13 प्रतिशत वैट सहित कुल रू0 4127212 का भुगतान किया गया अर्थात कुल राशि रू0 1816448/–(44861×92-25117×92) का अधिक भुगतान किया गया। जो संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है।

6. संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि प्रभारी कनीय अभियंता को पत्रांक सं0 252 दिनांक 24.07.12 द्वारा लगाए गए सभी 92 सोलर लाइट का स्थल जांच कर गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु प्रभारी कनीय अभियंता द्वारा स्थल जांच कर

प्रतिवेदन समर्पित करने का प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया। साथ ही साथ यह भी पता चला कि सभी वार्ड पार्षद द्वारा जुलाई 12 में अधिष्ठापन प्रमाण पत्र दिया गया था जबकि राशि का भुगतान जून 12 में ही कर दिया गया अर्थात लगाए गए सोलर लाइट की अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना एवं अधिष्ठापित सोलर लाइट की गुणवत्ता की जांच किए बिना ही राशि का भुगतान कर दिया गया। जो गलत एवं अनियमित है।

7 बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (O) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Performance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य के 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है , ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या शिकायतें होने पर राशि को Forfeit की जा सके, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि उपर्युक्त नियमानुसार राशि रू0 412721/– की कटौती की जानी चाहिए थी, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला इस मद में कोई राशि की कटौती नहीं की गयी थी। भविष्य में performance security की कटौती का ध्यान रखा जाय एवं नियमानुसार/शर्तानुसार इसकी कटौती अवश्य की जाय। लगाए गए सभी 92 सोलर लाइट की अधिष्ठापन स्थिति अर्थात लगाए गए सोलर लाइट सही तरीके से कार्य कर रहे है या नहीं, यह प्रतिवेदन में नहीं बताया गया।

8. सभी सोलर लाइटों का गारंटी कार्ड उपलब्ध नहीं कराई गई।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया कि आपूर्तिकर्ता से वैट की राशि की कटौती कर जमा किया जाएगा। संबंधित पत्रों की नकल भगत से मॉंगकर इसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाएगा। लेखापरीक्षा दल द्वारा सुझाए गए सुझाव पर आगे का कार्य किया जाएगा। अधिक भुगतान की राशि की जाँच कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

अतः वैट की अधिक भुगतान की राशि एवं ब्रेडा/बेलट्रान द्वारा सोलर लाईट की निर्धारित राशि से अधिक भुगतान की गई कुल राशि रू0 1816448 की राशि की वसूली योग्य है एवं अंकेक्षण आपत्ति कम सं0 2,3,4,6,7 एवं 8 का स्पष्ट एवं साक्ष्ययुक्त जवाब प्राप्त होने तक राशि रू0 2310764 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

भाग–II(ख)

कंडिका संख्या 2 –13वीं वित्त आयोग मद से सफाई सामग्री की खरीद में अनियमितता (राशि– 31.94 लाख)

13 वीं वित्त आयोग मद से सफाई सामग्री की खरीदारी से संबधित संचिकाओं के अवलोकन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

नगर पंचायत दाउदनगर में सफाई सामग्री की खरीदारी के लिए निविदा सं0 2/12–13 निकाली गयी। निविदा के अवलोकन से 12 निविदादाता ने निविदा डाली। सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों एवं सवेंदको

के बीच तकनीकि निविदा दिनांक 8.2.13 को खोली गयी। [illegible] चयनित निविदादाता का वित्तिय बीड दिनांक 18.2.13 को [illegible] गया। तुलनात्मक विवरणी पर विचारोपरान्त सबसे निम्न निविदादाता प्रकाश इन्टरप्राईजेज गया का चयन किया गया। चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश सं0 30/[illegible] निर्गत किया गया। कार्यालय एवं आपूर्तिकर्त्ता के बीच दिनांक 19.02.13 को एकरारनामा किया गया। आपूर्ति आदेश के आलोक में सभी समानों की आपूर्ति की गयी एवं राशि का भुगतान किया गया, [illegible] है :-

कम सं0	सामान का नाम	समानों की संख्या
1	हैण्ड ट्रॉली	12
2	ट्रैक्टर	01
3	वाटर टैंकर	01
4	टाटा टैम्पू	02

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	[illegible]	[illegible]
1	527553	27.06.13	1464400.00	[illegible]	[illegible]
2	729217	28.06.13	1730000.00	[illegible]	[illegible]

अंकेक्षण आपत्तियॉ

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार [illegible] भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती [illegible] समान मे0 प्रकाश इन्टरप्राईजेज गया से खरीदा [illegible] 113/- की कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की [illegible] भुगतान किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा वैट की राशि [illegible] संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया। वैट राशि की विवरणी [illegible] है :-

कम सं0	समान	वैट सहित राशि	वैट की दर प्रतिशत	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] नाम
1.	टाटा टैम्पु	1730000.00	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	मे0 [illegible] इन्टरप्राईजेज
2.	हैण्ड ट्रॉली, वाटर टैंकर, ट्रैक्टर	1464400.00	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल				[illegible]			

2. भंडार पंजी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है परन्तु [illegible] अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। भंडार पंजी [illegible] की प्राप्ति नगर पंचायत कार्यालय में संदेहास्पद है।

3. खरीदे गये ट्रैक्टर एवं [illegible] का लौगबुक अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। लॉगबुक नहीं प्रस्तुत [illegible] सामान की उपयोगिता सिद्ध नहीं की जा सकी। साथ ही साथ गाड़ियों का [illegible] दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. परफार्मेंस सिक्युरिटी के रूप [illegible] काटी गयी 10 प्रतिशत राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया या नहीं [illegible] को [illegible] नहीं कराया गया। इस संबध में संचिका में कोई टिप्पणी नहीं [illegible]
5. संचिका [illegible] है कि सामानों को खरीदने के लिए निविदा दैनिक सामाचार पत्र [illegible] के सूचना पट्ट पर निकाली गयी थी। जबकि बिहार वित्त नियमावली [illegible] के अनुसार 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी के लिए Advertised [illegible] प्रकिया को अपनाना चाहिए। नियमावली का पालन नहीं करने के कारण [illegible] का स्पष्ट अभाव पाया गया।
6. बिहार [illegible] 2007 की धारा 75–छ के अवलोकन से पता चला कि सामानों की [illegible] नियमानुसार सामान्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी थी। बिना [illegible] पर निर्णय लेकर सामानो की खरीदारी करना एवं भंडार पंजी एवं [illegible] के लिए प्रस्तुत नहीं करना पूरी प्रकिया एवं खरीदारी को [illegible]
7. बिहार [illegible] 131 जेड एफ के अनुसार तकनीकी निविदा पर विचार करते समय [illegible] होना आवश्यक है, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि [illegible] के तकनीकी निविदा पर विचार करते समय कार्यपालक पदाधिकारी [illegible] उपस्थित सदस्य, कार्यालय के प्रधान सहायक एवं सशक्त स्थायी [illegible] थे। अर्थात तकनीकी निविदा खोलते समय जो भी व्यक्ति उपस्थित [illegible] Technical side से नहीं था।

[illegible] कि आपूर्तिकर्ता से पत्राचार कर वैट की राशि जमा कि [illegible] किया गया है एवं लॉगबुक नहीं खोला गया है। भंडार पंजी [illegible] जाएगी तथा अंकेक्षण के सुझावों को ध्यान में रखकर आगे कार्यवाई की [illegible]

अतः [illegible] से अनुरोध है कि अधिक भुगतान की गयी वैट की राशि 159720/– [illegible] में जमा सुनिश्चित की जाए।

अतः [illegible] की राशि रू0 159720/– वसूली योग्य एवं अंकेक्षण आपत्ति सं0 2 से [illegible] होने राशि रू0 3034680 (3194400– 159720) अंकेक्षण आपत्ति [illegible]

कंड़िका संख्या 3 :–13 वीं वित्त आयोग मद से सफाई सामग्री की खरीद में अनियमितता (राशि–17.00 लाख)

13 वीं वित्त आयोग मद से सफाई सामग्री की खरीदारी से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

नगर पंचायत, दाउदनगर की सामान्य बैठक दिनांक [illegible] में [illegible] से सफाई सामग्री की खरीदारी के लिए निर्णय लिया गया। लिए गए निर्णय के आलोक में दैनिक समाचार पत्र में निविदा दिनांक 30.01.12 को निकाली गयी। निविदा के आलोक में 08 निविदादाताओं ने [illegible]। सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों एवं सवेंदको के बीच तकनीकी एवं वित्तीय बीड दिनांक 11.02.12 को खोली गयी। तुलानत्मक विवरणी पर विचारोपरान्त सबसे निम्न निविदादाताओं का चयन [illegible] सामानों के लिए किया गया। चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। आपूर्ति आदेश के आलोक में सभी समानों की आपूर्ति की गयी एवं राशि का भुगतान किया गया, जिसकी विवरणी इस प्रकार है–

कम सं0	सामानों का नाम	आपुर्ति आदेश सं0 / दिनांक	एकरारनामा की तिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामानों की संख्या
1	हाइड्रोलिक टैम्पू	90 / 19.03.12	15.05.12	[illegible]	[illegible]
2	कूड़ादान	8329 / 14.03.12	उपलब्ध नहीं	[illegible]	[illegible]
3	फौगिंग मशीन	63 / 17.02.12	उपलब्ध नहीं	[illegible]	01
4	जेनरेटर	63 / 17.02.12	उपलब्ध नहीं	[illegible]	01

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	कटौती [illegible]	[illegible]	सामानों का नाम
1	639940	16.5.12	539125.00	53913.00	[illegible]	हाइड्रोलिक टैम्पू
	527554	28.06.13	कटौती की गयी राशि		[illegible]	
2	639937	11.5.12	225000.00	22500.00	[illegible]	कूड़ादान
3	871001	10.4.12	737750.00	73775.00	[illegible]	फौगिंग मशीन
4	567753	17.02.12	198625.00	19862.00	[illegible]	जेनरेटर
	007444	10.4.12			[illegible]	
5	527552	27.06.13		कटौती की गयी राशि	[illegible]	जेनरेटर, फागिंग मशीन
		कुल	1700500		[illegible]	

अंकेक्षण आपत्तियाँ:–

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामग्री की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, [illegible] सामान बिहार परिक्षेत्र से ही खरीदा गया था, अतः वैट की राशि के रूप में [illegible]/– की कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी। अतः राशि [illegible]/– का अधिक भुगतान किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा वैट की राशि को संबंधित मद में जमा किये जाने का साक्ष्य अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	समान	वैट सहित राशि	वैट की दर प्रतिशत	वैट की राशि	कटौती की गयी राशि	अन्तर	दुकान का नाम	अभयुक्ति
	हाइड्रोलिक टैम्पू	539125.00	13.5	64125.00	शून्य	64125.00	सिन्हा इन्टरप्राईजेज गया	
	कूड़ादान	[illegible]	13.5	25889.00	शून्य	25889.00	रिलायबुल इन्टरप्राईजेज पटना	अभिश्रव अनुपलब्ध
	फौगिंग मशीन	737750.00	13.5	87750.00	शून्य	87750.00	प्रकाश इन्टरप्राईजेज गया	
	जेनरेटर	[illegible]	13.5	22855.00	शून्य	22855.00	प्रकाश इन्टरप्राईजेज गया	अभिश्रव अनुपलब्ध
कुल						**200619**		

2. भंडार पंजी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है परन्तु भंडार पंजी अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। भंडार पंजी नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में सामान की प्राप्ति नगर पंचायत कार्यालय में संदेहास्पद है।

3. खरीदे गये हाइड्रोलिक टैम्पू, फॉगिंग मशीन एवं जनरेटर का लौग बुक अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। लौग बुक नहीं प्रस्तुत करने से सामान की उपयोगिता सिद्ध नहीं की जा सकी। साथ ही सभी गाड़ियों का निबंधन प्रनाण पत्र भी दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. फॉगिंग मशीन के उपयोग के लिए मच्छर मारने की दवा का उपयोग जरूरी है। रोकड़बही क़े अवलोकन से पता नहीं चल सका कि फागिंग मशीन खरीदने के बाद मच्छर मारने की दवा खरीदा गया था। इसके साथ साथ फागिंग मशीन के उपयोग में कितना डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग किया गया था दल को अवगत नहीं करायी गई।

5. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 खंड एफ के अनुसार तकनीकी निविदा पर विचार करते समय किसी तकनीकी व्यक्ति का होना आवश्यक है, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि उपर्युक्त सामानों की खरीदारी के तकनीकि निविदा पर विचार करते समय कार्यपालक पदाधिकारी, निविदादाता के रूप से उपस्थित सदस्य, कार्यालय के प्रधान सहायक एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य ही उपस्थित थे। अर्थात तकनीकी निविदा खोलते समय जो भी व्यक्ति उपस्थित थे उसमें एक भी व्यक्ति Technical side से नहीं था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि आपूर्तिकर्ता से पत्राचार कर वैट की राशि जमा की जायेगी, भंडार पंजी अगले अंकेक्षण के समय दिखायी जाएगी तथा अंकेक्षण के सुझावों को ध्यान में रखकर आगे कार्रवाई की जायेगी।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि अधिक भुगतान की गयी वैट की राशि रू0 200619/– का वसूली कर सरकारी शीर्ष में जमा सुनिश्चित की जाय।

अतः अधिक भुगतान की गयी वैट की राशि रू0 200619/– वसूली योग्य एवं अंकेक्षण आपत्ति सं0 5 से 8 तक का स्पष्ट जवाब प्राप्त होने तक राशि रू0 1499881 (1700500– 200619) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या 4 :–सेल्फ चेक द्वारा राशि की निकासी (राशि–31.60 लाख)

प्रस्तुत लेखापाल रोकड़बही के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि [illegible] अवधि 2010–15 की अवधि में नगर पंचायत कोष से राशि रू0 3159795/– की निकासी self cheque के माध्यम से की गयी थी। लेखापाल रोकड़बही में राशि के निकासी का प्रयोजन अंकित नहीं पाया गया। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट III पर है।

लेखापरीक्षा दल के समक्ष उक्त व्यय से संबंधित अभिश्रव, दस्तावेज, आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया। self cheque के माध्यम से राशि की निकासी से [illegible] बड़े वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि निकासी करने वाले कार्यालय कर्मी श्री नरेन्द्र [illegible] से जवाब प्राप्त कर सूचित किया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस राशि निकासी की उच्चस्तरीय जांच की जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाए तब तक self cheque के माध्यम से निकासी की राशि रू0 3159795/– को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंड़िका संख्या 5 :–बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के कर्मी को वेतन का अनियमित अग्रिम भुगतान (राशि–4.81 लाख)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार बिना सशक्त स्थायी समिति की सहमति के राज्य सरकार नगरपालिका निधि से व्यय किये जाने वाले पदाधिकारियों अथवा कर्मियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी तथा अगर राज्य सरकार इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है तो ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद के व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

लेकिन नगर पंचायत दाउदनगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिना नगर पंचायत दाउदनगर की सहमति के तीन कर्मियों को नगर पंचायत में नियुक्त किया गया एवं पत्रांक 3343 दिनांक [illegible] द्वारा नगर पंचायत से तीन मैन पावर सप्लाई करने के लिए रू0 813728.00 का मांग किया गया। भुगतानों की जाँच में पाया गया कि निदेशक, बुडा के पक्ष में नगर पंचायत कार्यालय से नियुक्त किए गए तीन कर्मियों का एक वर्ष के संभावित वेतन को नगरपालिका निधि अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त की राशि से ड्राफ्ट सं0 [illegible] दिनांक 11.02.2014 से रू0 480614.00 का चेक पत्रांक सं0 [illegible] द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर निर्गत किया गया। सभी तीन कर्मियों के विवरण इस प्रकार है–

पदनाम	[illegible] कर्मी का नाम सर्वश्री	योगदान की तिथि	अभियुक्ति
सिविल अभियंता	[illegible]	05.01.15	
लेखापाल	[illegible]	27.12.14	11.03.15 के बाद नौकरी छोड़ दी।
लिपिक	[illegible]	4.12.14	
लिपिक	[illegible] कुमार [illegible]	4.12.14	

जवाब दिया गया कि [illegible] की सहमति सशक्त स्थायी समिति से नहीं ली गई थी एवं कर्मचारियों [illegible] से नहीं ली गई थी। राशि का भुगतान राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर किया गया था।

अंकेक्षण को [illegible] से अवगत नहीं कराया गया कि इन सभी व्यक्तियों की नियुक्ति [illegible] पद के [illegible] की गयी थी अथवा नहीं।

लेखापरीक्षित इकाई [illegible] दिये जाने तक भुगतान की गई राशि 480614 लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत [illegible] है।

कंडिका संख्या [illegible] नगर पंचायत [illegible] दुकान किरायदारों से सेवा कर की वसूली नहीं किये जाने से हानि— रू0 [illegible] लाख

वित्त अधिनियम, [illegible] की [illegible] धारा [illegible] के अनुसार नकारात्मक सूची में उल्लिखित सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी [illegible] पर सेवा कर का अधिरोपन 12 प्रतिशत की दर से किया जाना है। आगे, अधिनियम की धारा [illegible] में अचल सम्पत्तियों से प्राप्त किराया पर सेवा कर अधिरोपित करने का प्रावधान है तथा अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सेवा कर का भुगतान सेवा प्रदाताओं को करना है। अधिनियम की धारा [illegible] में सेवा कर का भुगतान निश्चित समय के अंदर नहीं किये जाने पर [illegible] के साथ सेवा कर की [illegible] पर ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है।

नगर पंचायत, [illegible] के अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए विवरणी के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष [illegible] से [illegible] के दौरान दुकान किरायादारो से सेवा कर की वसूली नहीं की गई थी। विवरण निम्नलिखित है :—

प्राप्ति का विवरण	[illegible] 2010—11 एवं [illegible]—15 में वसूल की गई कुल राशि	सेवा कर का दर प्रतिशत में(उपकर सहित)	सेवा कर की राशि रू0 में
दुकान किराया	[illegible]	12.36	**90990**

सेवा करों को संबंधित [illegible] से वसूल नहीं करने के कारण अंततः इन करों को जमा करने का दायित्व नगर पंचायत कार्यालय का ही है। साथ ही, इन करों को समय पर जमा नहीं करने के कारण नगर पंचायत कार्यालय [illegible] के रूप में अतिरिक्त दायित्वों का भी सृजन हो रहा है।

दुकान किरायादारों के साथ की गई [illegible] में दुकान किराया के अतिरिक्त समय— समय पर सरकार द्वारा [illegible] करों की वसूली से संबंधित प्रावधान किये गये थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया।

इस प्रकार के परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग पर लगने वाले सेवा कर की वसूली किरायेदारों से कर केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में जमा नहीं किये जाने के कारणों से भी लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा जवाब दिया गया कि बकाया राशि की वसूली कर कार्यालय को सूचित किया जायेगा। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि उक्त सेवाकर की राशि को संबंधित व्यक्ति से वसूल कर संबंधित विभाग में जमा कराया जाए एवं स्थानीय लेखापरीक्षक को सूचित किया जाये।

कंडिका संख्या 7 :–दुकान किराया मद बकाया (राशि–3.01 लाख)

नगर पंचायत, दाउदनगर के दौरान दुकान किराया से संबंधित वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 की मॉग एवं संग्रहण पंजी संधारित नहीं पाये गए। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि नगर पंचायत के पास कुल कितने दुकान थे तथा उनमे से कितने दुकानों से किराया प्राप्त हो रहा था। साथ ही यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि मार्च'15 तक इन दुकानों का किराया कब से तथा कितनी राशि बकाया थी।

नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 में नगर पंचायत के दुकानों से किराया मद में प्राप्त हुई राशि का विवरण उपलब्ध कराया गया जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

पूर्व का बकाया	वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 का कुल मॉग	कुल वसूली	मार्च 2015 को कुल बकाया
599788.56	436953.60	736161.20	300580.96

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि मार्च 2015 तक नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 में दुकान से किराया मद की कुल बकाया रू0 300580.96 थी।

नगर पंचायत दाउदनगर द्वारा जवाब दिया गया कि बकाया राशि की वसूली कर कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकरी से यह अनुरोध है कि नगर पंचायत द्वारा संधारित दुकानों से संबंधित मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण किया जाए एवं दुकान किराया की बकाया राशि रू0 300580.96 की वसूली के लिए आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाएँ एवं कार्यान्वयन से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका संख्या 8 :– संचार मीनारों (मोबाइल/इन्टरनेट आदि) पर बकाया राशि (राशि– 6.12 लाख)

बिहार संचार मीनारों तथा संबंधित संरचना नियमावली, 2012 के नियम 6 में प्रावधान किया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क रू0 8000 प्रति टावर प्रति वर्ष वसूल किया जाना है। इसके अलावा यह भी

प्रावधान किया गया है कि एक ही टावर पर अतिरिक्त एंटिना लगाया गया हो तो प्रति एंटिना पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के रूप में प्रत्येक एंटिना के लिए अतिरिक्त 60 प्रतिशत राशि वसूल किया जाएगा। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह तक प्राप्त नहीं होता है तो प्रति माह [illegible] प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूलनीय है।

नगर पंचायत, [illegible] द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 की मोबाईल टावर की मॅाग एवं वसूली की विवरणी प्रस्तुत किया गया। विवरणी के अनुसार मार्च'15 तक संचार मीनारों कुल रू0 612000 बकाया थी। विवरणी इस प्रकार है:–

मीनारों की सं0	पूर्व का बकाया	वित्तीय वर्ष 2012–13 से [illegible] का बकाया	कुल बकाया	वसूली	बकाया
15	[illegible]	[illegible]	732000	शून्य	612000

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि संचार टावर मालिकों को पुनः नोटिस देकर बकाया राशि की वसूली की जायेगी।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि संचार टावर की बकाया की राशि रू0 612000/– की वसूली की दिशा में आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाएँ एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यलय को सूचित किया जाए।

कंड़िका संख्या 9 :–गृह कर इत्यादि मद में बकाया राशि (रू0 16.44 लाख)

नगर पंचायत [illegible] द्वारा गृहकर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मदों के अंतर्गत 31.03.15 तक कितना बकाया एवं चालू मॉग था तथा इसके विरुद्ध कितनी राशि वसूली गयी थी।

हालांकि नगर पंचायत [illegible] द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर मार्च,15 तक कुल रू0 1643779 बकाया था जो कुल मॉग का लगभग 29.59 प्रतिशत था। कुल मॉग के विरूद्ध की गई वसूली की विवरणी नीचे दी गयी है:–

बकाया	वित्तीय वर्ष [illegible] से 2014–15 तक कुल मॉग	कुल मॉग	वसूली	बकाया (31 मार्च 2015)
1009132	[illegible]	5555248	3911469	1643779

नगर पंचायत [illegible] द्वारा जवाब दिया गया कि राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि नगर पंचायत द्वारा गृह कर से संबधित मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण किया जाए एवं बकाया राशि रू0 1643779 की वसूली के लिए आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका संख्या 10 :– ट्रेड लाईसेंस की बकाया राशि (रु० [illegible] 0.70 लाख)

नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा ट्रेड लाईसेंस की मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मदों के अंतर्गत 31.03.15 तक कितना बकाया एवं चालू मॉग था तथा इसके विरूद्ध कितनी राशि वसूली गयी थी। हालांकि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा ट्रेड लाईसेंस से संबंधित मांग एवं वसूली विवरणी प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध करायी गई विवरणी के अनुसार 31.3.15 तक उक्त मद में कुल रु 69917 बकाया था। विवरणी निम्नलिखित है –

बकाया	वत्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 का कुल मॉग	कुल मॉग	वसूली	[illegible]	वसूली प्रतिशत
58507	44230	102737	32820	[illegible]	31.95

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 2015 तक नगर [illegible] वर्ष 2010–11 से 2014–15 में दुकान से किराया मद की कुल बकाया रू0 69917 [illegible]

नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा बताया गया कि बकाया की राशि [illegible] कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि नगर [illegible] लाईसेंस से संबंधित मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण किया जाए एवं बकाया राशि रू0 [illegible] की वसूली के लिए आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका संख्या 11:– मार्केट किराया शुल्क की रू0 0.94 लाख बकाया राशि

नगर पंचायत, दाउदनगर द्वारा मार्केट किराया शुल्क की मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त [illegible] 31.03.15 तक कितना बकाया एवं चालू मॉग था तथा इसके विरूद्ध कितनी राशि [illegible] नगर पंचायत कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 की मार्केट किराया शुल्क से संबंधित मांग एवं वसूली विवरणी प्रस्तुत की गई। उपलब्ध करायी गई विवरणी के अनुसार 31.3.15 तक उक्त मद में कुल रु 93864 बकाया था। विवरणी निम्नलिखित है:–

बकाया	वत्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 का कुल मॉग	कुल मॉग	वसूली	[illegible] (31 मार्च 2015)	वसूली प्रतिशत
68774	128850	197624	10376[illegible]	93864	52.50

जवाब दिया गया कि राशि वसूलो की कार्रवाई की जा रही है

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त [illegible] पंजी का संधारण किया जाए एवं बकाया राशि रू0 93864 की वसूली के लिए आवश्यक प्रयास किये जाएँ।

कंड़िका संख्या 12:– सैरात बन्दोबस्ती में अनियमितता

नगर पंचायत, दाउदनगर में सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया [illegible] जिसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि नगर पंचायत में कुल कितने सैरात [illegible] 2012–13 की